०७

प्लेबुक

एक्सिस बैंक फाउंडेशन समर्थित ग्रामीण
आजीविका परियोजनाओं के सर्वोत्तम अभ्यास

ग्रामीण आजीविका

जल प्रभंधन

समुदाय-नेतृत्व जल प्रभंधन

भाग 7 - नहर कमान क्षेत्रों में सहभागी सिंचाई प्रबंधन

प्लेबुक किस आवश्यकता की बात करती है?

देश का बड़ा हिस्सा गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है, जिसका मुख्य कारण भूजल और सतही जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन है। पानी की कम उपलब्धता से जल संसाधनों का असमान वितरण, शुष्क महीनों के दौरान फसल की कम पैदावार और मिट्टी की लवणता और शुष्कता की समस्याएँ होती हैं। इस मुद्दे के समाधान के लिए सामुदायिक भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता है।

कृषि जल उपयोग के लिए टॉप-डाउन योजनाएं डिजाइन करने के बजाय, **डी.एस.सी** जल संसाधनों की सामुदायिक योजना पर जोर देता है. क्षेत्र मूल्यांकन का डिज़ाइन, सामुदायिक गतिशीलता, ग्राम-स्तरीय जल बजट, जल पुनर्भरण संरचनाएं, निगरानी और जल सुरक्षा योजना के लिए भागीदारी दृष्टिकोण इसका सबसे अच्छा उदाहरण है।

इस प्लेबुक का उपयोग कौन कर सकता है?

व्यवसायी, प्रशिक्षक, सामुदायिक संसाधन व्यक्ति, प्रगतिशील किसान, विषय विशेषज्ञ, स्थानीय शासन प्रतिनिधि।

यह प्लेबुक डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर (डी.एस.सी) की विशेषज्ञता का उपयोग करके डिज़ाइन की गई है, जो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में भागीदारी जल प्रबंधन और पानी के विवेकपूर्ण उपयोग पर काम करता है।

डी.एस.सी द्वारा इन समाधानों को संस्थापक अध्यक्ष - अनिल शाह, कार्यकारी निदेशक - मोहन शर्मा और पूर्व कार्यकारी - निदेशक सचिन ओझा के नेतृत्व में डिजाइन और अग्रणी बनाया गया है.। डी.एस.सी के 30 वर्षों के गठन में इन सहभागी तकनीकी और सामाजिक प्रक्रियाओं ने समुदाय को सशक्त बनाया है.। इससे समुदाय द्वारा समर्थित और पोषित जल सुरक्षा को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण का विकास हुआ है।

आज हम अपने गांव में पानी की स्थिति के बारे में बात करने के लिए एकत्र हुए हैं। देखते हैं पानी कितना गहरा है।

क्या आप में से किसी ने देखा कि पानी खारा होने के कारण मिट्टी शुष्क हो रही है?

आपमें से कितने लोगों की इस शुष्क मौसम में फसल की पैदावार कम हुई?

क्या आपमें से कुछ लोगों को लगा कि आपको अपने पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में कम पानी मिला है ?

यदि हम अपने जल का उचित प्रबंधन करें तो हम अनियमित जल आपूर्ति और गुणवत्ता की इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।

इस पुस्तक में आप सीखेंगे

- अपने गांव की पानी की जरूरतों और संसाधनों को समझना
- जल प्रबंधन में शामिल होना
- जल बजट तैयार करना
- जल सुरक्षा के लिए योजना करना
- रिचार्ज शाफ्ट बनाकर भूजल की पूर्ति करना
- जल संसाधनों की निगरानी करना
- सिंचाई का सहयोगपूर्वक प्रबंधन करना

* यह प्लेबुक समुदाय-नेतृत्व वाले जल प्रबंधन पर **7-भाग** वाली प्लेबुक श्रृंखला का **भाग 7** है। पूरा सेट यहाँ पाएँ: लिंक

7.

नहर कमान क्षेत्रों में सहभागी सिंचाई प्रबंधन

हमें नहर कमांड क्षेत्रों के पूरे गांव में पानी का समान वितरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है

हमें सहभागी सिंचाई प्रबंधन के बारे में क्यों सीखना चाहिए? मैं आपको समझाता हूँ।

बड़े पैमाने पर सिंचाई परियोजनाओं में भारी निवेश के बावजूद, न्यायसंगत जल वितरण एक चुनौती बनी हुई है।

छोटी नहरों के अंतिम छोर पर रहने वाले किसानों को उनके हिस्से का पानी शायद ही कभी मिल पाता है। इससे कृषि उपज कम होती है. दूसरी ओर, अवैज्ञानिक तरीकों से पानी की अधिक खपत वाली फसलों की खेती हो रही है या जलभराव के कारण लवणता बढ़ रही है।

कृषि जल के समतापूर्ण उपयोग के लिए शीर्ष-स्तरीय योजनाएँ बनाने के बजाय, डी.एस.सी जल संसाधनों की सामुदायिक योजना पर ज़ोर देता है. सिंचाई संबंधी समस्याओं के समाधान में समुदाय को शामिल करने से:

- जल संसाधनों का समान वितरण किसानों के बीच सहकारी दृष्टिकोण से होता है,
- बेहतर जल उपयोग योजना और चक्रण के माध्यम से लोग कृषि क्षेत्र में अधिक आय अर्जित करते हैं,
- लोग उपलब्ध जल के आधार पर बेहतर फसल योजना के माध्यम से अधिक आय अर्जित करते हैं,
- जल संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित होता है। इससे भूजल और अन्य घटते जल स्रोतों पर निर्भरता कम होती है, और
- नहरों और पंपों जैसी सार्वजनिक संरचनाओं का बेहतर रखरखाव और उपयोग होता है।

सहभागी सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम ने यह प्रदर्शित किया है कि नहर नियंत्रण क्षेत्रों में जल पहुंच और प्रबंधन से संबंधित कई समस्याओं को किसानों की सक्रिय भागीदारी से कम किया जा सकता है। सहभागी सिंचाई प्रबंधन प्रक्रिया में दो महत्वपूर्ण हितधारक हैं:

1. *सरकार, जिसने नहर का निर्माण किया है, और*
2. *गांव के किसान और नागरिक, जिनके लिए नहरें बनाई गई हैं और जिनका दायित्व है कि वे इसका विवेकपूर्ण उपयोग करें।*

इन दोनों पक्षों की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण है। यह देखा गया है कि सहभागी सिंचाई प्रबंधन प्रक्रिया के तहत किसानों के संगठनों द्वारा प्रोत्साहित किए जाने के कारण निजी जल निकासी स्रोतों की तुलना में पानी का उपयोग 6-7% सस्ता हो गया है। सामूहिक कार्रवाई नहर के पानी का सर्वोत्तम उपयोग करने की कुंजी है।

किसान-प्रबंधित नहर सिंचाई प्रणालियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण और अभ्यास गुजरात के धरोई, गुहाई और माजम जल उपयोगकर्ता संघों में देखे जा सकते हैं। ये संघ इस प्रक्रिया के बारे में अधिक जानने के लिए मूल्यवान संदर्भ के रूप में काम कर सकते हैं।

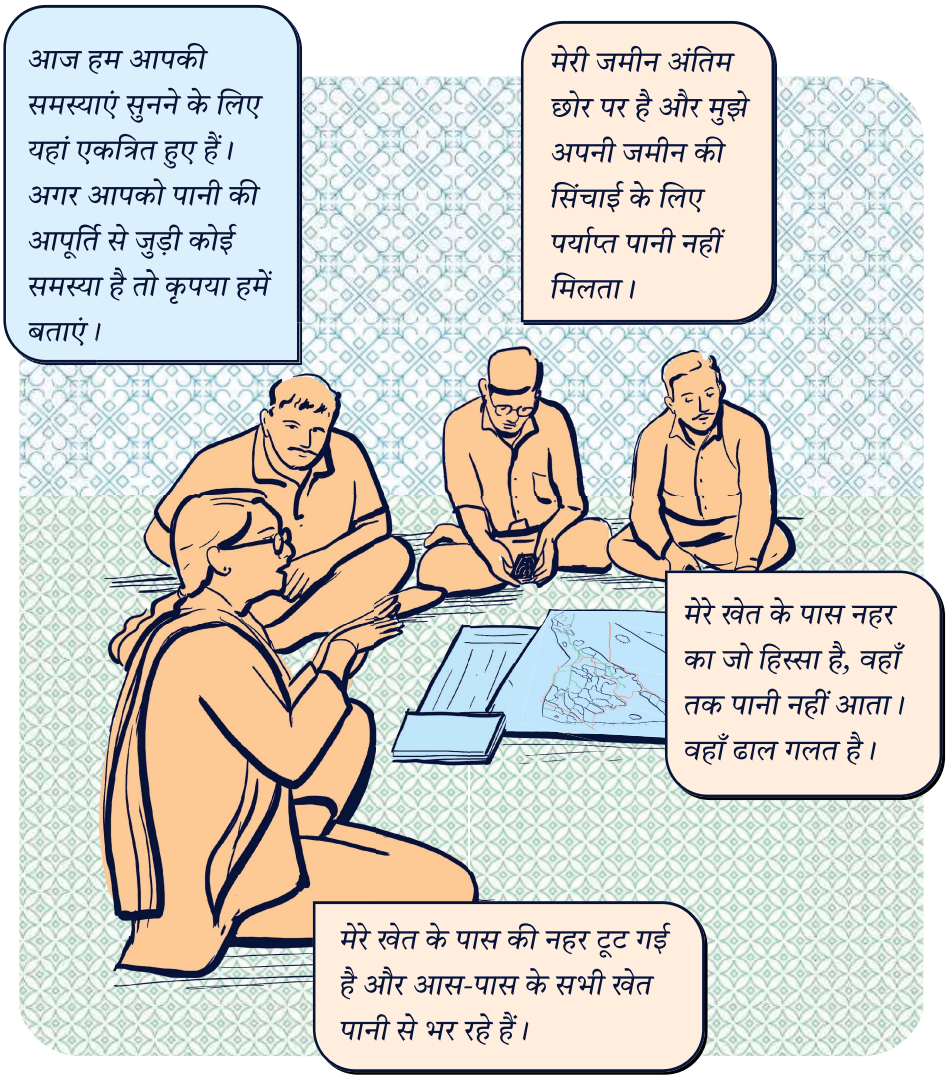

आज हम आपकी समस्याएं सुनने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। अगर आपको पानी की आपूर्ति से जुड़ी कोई समस्या है तो कृपया हमें बताएं।
मेरी जमीन अंतिम छोर पर है और मुझे अपनी जमीन की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलता।
मेरे खेत के पास नहर का जो हिस्सा है, वहाँ तक पानी नहीं आता। वहाँ ढाल गलत है।
मेरे खेत के पास की नहर टूट गई है और आस-पास के सभी खेत पानी से भर रहे हैं।

आइये इन मुद्दों को नहर नेटवर्क और जल संसाधनों के मानचित्र पर अंकित करें।
सबसे पहले, आइए उन क्षेत्रों को अंकित करें जो पानी के बिना रह गए हैं और वहां पानी न पहुंचने का कारण जानें।
इसके बाद, आइए पानी के अन्य महत्वपूर्ण स्रोतों जैसे कुएँ, तालाब और नदियों को भी इसमें जोड़ें।
अब इसमें वन भूमि, सार्वजनिक भूमि, घास के मैदान और फसलों को देखने के लिए भूमि-उपयोग मानचित्र भी जोड़ें
हम इसमें धार्मिक संरचनाओं, समुदायों के बसावट पैटर्न और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसी सामाजिक संस्थाओं को भी जोड़ सकते हैं। इससे हमें यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि नहर कमान क्षेत्रों के प्रतिनिधि इस प्रक्रिया में शामिल हों।

हमने गांव में नहर सिंचाई की समस्याओं को समझने की कोशिश में कई महीने बिता दिए हैं। मुझे लगता है कि आप सभी को भी समस्याओं की अच्छी समझ हो गई होगी। अब हमें समाधान के बारे में सोचना होगा.

हमें गांव में छोटी नहरों के आसपास के क्षेत्रों में समाधान की दिशा में सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए कमांड क्षेत्र के किसानों का एक जल उपयोगकर्ता संघ (Water User Association, WUA) शुरू करने की आवश्यकता है।

WUA सिंचाई और जल संसाधन विभागों जैसे सरकारी विभागों के साथ भी काम करेगा, कानूनी प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाएगा और गांव में नहर के पानी के वितरण और प्रबंधन का संचालन करेगा।

प्रत्येक जल उपयोगकर्ता संघ को अपने विकास में तीन चरणों से गुजरना पड़ता है:

1. गठन: सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम और नियमों, जल उपयोगकर्ता संघ के उद्देश्यों और कार्यों और उसके संसाधनों को समझना

2. नहर पुनर्वास की योजना और कार्यान्वयन: नहर प्रणाली को समझना, संसाधन जुटाना, निर्माण प्रबंधन

3. नियमित सिंचाई प्रबंधन: चक्रीय जल आपूर्ति, फसल जल संबंध, जल शुल्क संग्रह

* नोट: ये सभी प्रावधान गुजरात सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम और नियमों पर आधारित हैं। ये प्रावधान राज्य दर राज्य अलग-अलग हैं।

1. गठन

हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो WUA समिति का हिस्सा बनें और सिंचाई के मुद्दों की देखरेख करें।

हम WUA शुरू करने तथा इन मुद्दों पर ध्यान देने के लिए अधिक सदस्य ढूंढने के लिए तैयार हैं।

जल उपयोगकर्ता संघों (WUA) का गठन

जल उपयोगकर्ता संघ का गठन राज्य के सिंचाई विभाग के नियमों के तहत किया जाता है।. अक्सर, इसे सिंचाई सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत किया जाता है.। ये नियम राज्य दर राज्य अलग-अलग होते हैं और इन्हें अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है.

- प्रति एकड़ दर और जल उपयोगकर्ता संघ के लिए सदस्यता दर तय करने के लिए एक आम बैठक आयोजित की जाती है.। दर उपस्थित अधिकांश किसानों को स्वीकार्य होनी चाहिए.
- कई राज्य इस बात पर जोर देते हैं कि जल उपयोगकर्ता संघ में कमांड क्षेत्रों के 51% किसान सदस्य होने चाहिए.। किसानों से बात करके और उनसे मामूली सदस्यता शुल्क लेकर इस प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए सामुदायिक नेताओं को शामिल किया जा सकता है.
- नियम के अनुसार, सदस्य बनने के लिए किसानों के पास कमांड क्षेत्र में ज़मीन होनी चाहिए.। इस कारण महिलाओं को समिति से बाहर रखा जा सकता है .। महिला किसानों को "नामांकित सदस्य" के रूप में नियुक्त करना और उन्हें समान अधिकार देना उचित है.
- जल उपयोगकर्ता संघ में विभिन्न कार्यों के लिए उप-समितियां हैं: संघर्ष समाधान, निर्माण, लेखा और लेखा परीक्षा, तथा जल वितरण।

2. नहर पुनर्वास की योजना एवं क्रियान्वयन

सहकारी संस्था का पंजीकरण करवाना मुश्किल हो सकता है। फाइल को सरकारी विभागों के बीच इधर-उधर भेजा जाएगा और कोई नया नियम या कोई दस्तावेज़ गायब होने की बात बताई जाएगी।

अच्छा, किसान आसानी से अपना उत्साह खो सकते हैं और इस प्रक्रिया में रुचि खो सकते हैं। किसानों को प्रेरित रखना महत्वपूर्ण होगा।

हाँ, सहकारी समिति का पंजीकरण पूरा होने में 9 महीने तक का समय लग सकता है। इस दौरान नहरों के जीर्णोद्धार और मरम्मत का काम हो सकता है।

नहर पुनरोद्धार कार्य की प्रक्रिया

- किसानों, गैर-लाभकारी संगठन और सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, रखरखाव पूरा होने के बाद नहरों को सौंपने का संकेत.
- नहर से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए किसानों और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के बीच संयुक्त सर्वेक्षण.
- सिंचाई विभाग द्वारा अनुमानों का अनुमोदन तथा किसानों से अंशदायी लागतों का संग्रह.

कुछ राज्यों के सहकारी कानूनों के अनुसार नहर की मरम्मत के लिए किसानों को एक निश्चित राशि का योगदान देना होता है, जो आमतौर पर लागत का लगभग 10% होता है.

इससे उन किसानों को भ्रम हो सकता है जो सोचते हैं कि उन्होंने पहले ही सदस्यता शुल्क और शेयर पूंजी का भुगतान कर दिया है।

हां, हमें इन गलतफहमियों को दूर करने के लिए और अधिक प्रशिक्षण, बैठकें और एक्सपोजर दौरे आयोजित करने होंगे। किसानों को यह दिखाया जा सकता है कि उन्हें योगदान के रूप में दी गई राशि से अधिक लाभ होगा।

मरम्मत कार्य के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त करना

अगर निर्माण शुरू होने के समय भी सहकारी संस्था पंजीकृत नहीं है, तो संगठन सिंचाई विभाग से अनुदान प्राप्त कर सकता है। किसानों को हर निर्णय में शामिल किया जाना चाहिए और काम की देखरेख करनी चाहिए।

कई राज्यों में जल उपभोक्ता संघों को सिंचाई विभाग के माध्यम से मरम्मत कार्य करवाने के बजाय सरकारी धन प्राप्त करने का विकल्प दिया जाता है। यह एक बेहतर विकल्प है क्योंकि काम की निगरानी सीधे संघ और किसान कर सकते हैं।

जल उपयोगकर्ता संघ का कार्य और संगठन की भूमिका

बैठक

- कार्यकारी समिति की बैठक महीने में एक बार होती है
- बजट पर निर्णय लेने के लिए वर्ष में एक बार वार्षिक आम बैठक होती है

वेतन

- सचिव: वर्ष के 3-4 महीनों के लिए निश्चित दर पर काम
- नहर संचालक: सिंचाई सीजन के दौरान 300-400 रुपये प्रतिदिन

सहकारी समिति द्वारा सिंचाई योजना

- चेयरमैन को सिंचाई विभाग के साथ एक बैठक में बुलाया जाता है, जिसमें एक सीजन के दौरान छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा पर चर्चा होती है। सरकार पानी के लिए दर भी तय करती है।
- अध्यक्ष समिति के भीतर सिंचाई योजना पर चर्चा करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सदस्यों को पानी उपलब्ध हो। इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि प्रत्येक किसान के लिए कितनी भूमि की सिंचाई की जा सकती है, तथा पानी की उपलब्धता के आधार पर किस फसल की खेती की जानी चाहिए।
- वार्षिक आम बैठक जल वितरण, नहर की सफाई, सचिव का वेतन, नहर संचालक का वेतन और जल कर के भुगतान के खर्चों पर निर्णय लेती है।
- सहकारी समितियों द्वारा ली जाने वाली जल दरें सरकारी दरों से अधिक होंगी (लगभग 20-25% अधिक)। इससे सहकारी समितियों के खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

संगठन पहले 2-3 वर्षों तक सहकारी समितियों को सहारा देने में भूमिका निभा सकते हैं:

1. *इसमें जल वितरण और वित्तीय मामलों में अध्यक्ष और सहकारी सदस्यों को प्रशिक्षण देना;*
2. *निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी पर सहकारी समिति को प्रशिक्षण देना; और*
3. *कृषि क्षेत्रों, फसलों और मिट्टी के प्रकारों की सिंचाई के लिए समय की गणना पर नहर संचालक को प्रशिक्षण देना - ये होगी उनकी भूमिका.*

जल के समान वितरण के लिए नहर संचालकों को प्रशिक्षण

यह गांव से होकर गुजरने वाली छोटी नहर का एक मोटा खाका दिखाता है। नहर को ऊपरी, मध्य और निचला खंड में बांटा गया है। सहायक नहरें छोटी नहर से बाहर की ओर जाती हैं और यहां से आउटलेट किसानों के खेतों तक जाते हैं।

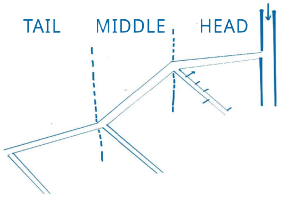

- सबसे पहले ऊपरी खंड में पानी छोड़ा जाता है तथा यहां सिंचाई होने के बाद ही मध्य और फिर निचला खंड में पानी छोड़ा जाता है.।
- प्रत्येक खंड में पानी हमेशा उसी खंड की अंतिम सहायक नहर के माध्यम से छोड़ा जाता है.। और एक बार जब इसे सहायक नहर के माध्यम से छोड़ दिया जाता है, तो अंतिम आउटलेट हमेशा सबसे पहले सिंचित किया जाता है. (चित्रण में, आउटलेट का समय 1,2,3,4 और अंतिम के रूप में दिखाया गया है)
- नहर संचालक को किसानों के संपर्क में रहना होगा और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से समन्वय करना होगा. जब खेत की सिंचाई लगभग पूरी हो जाती है, तो कतार में लगे अगले किसान से फ़ोन पर संपर्क करके तैयार रहने को कहा जा सकता है।

यह प्रणाली बर्बादी को रोकती है, यह तेज बहाव के कारण नहर प्रणाली को होने वाले नुकसान को रोकती है, और बीच के खेतों में पानी भरने को भी रोकती है। इससे किसानों का बहुत समय भी बचता है, क्योंकि उन्हें अपनी बारी आने तक घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता।

जल उपयोगकर्ता संघ के भीतर जल बंटवारा नियम

1. सदस्यता उन लोगों के लिए खुली है जिनके पास कमान में जमीन है.
2. किसान सिंचाई के लिए पानी पाने के लिए तभी पात्र होंगे जब वे सदस्यता फॉर्म भरेंगे.
3. जो महिला किसान अविवाहित हैं, उन्हें दिन के समय पानी मिलेगा।
4. ऑपरेटर से गेट पास प्राप्त करने के बाद ही किसान पानी प्राप्त कर सकते हैं।
5. पानी के रोटेशन के दौरान यदि किसान दो बार पानी लेते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 400 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. यदि किसान समिति का सदस्य भी है तो जुर्माना राशि दोगुनी हो जाएगी.
6. नहर के बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान की लागत उस किसान से वसूल की जाएगी जिसने नुकसान पहुंचाया है.
7. इसके बाद जो किसान पानी की बर्बादी करते हुए पकड़े जाएंगे, उन्हें इस मामले पर न्याय समिति के निर्णय का पालन करना होगा.।
8. सिंचाई शुरू होने से पहले सिंचाई सहकारी समिति के सदस्यों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित की जाएगी.।
9. सचिव को सोसायटी द्वारा किए गए मरम्मत कार्य के आधार पर वेतन मिलेगा.

संस्थागत स्वास्थ्य के लिए प्रयास

- WUA का वार्षिक स्व-मूल्यांकन आवश्यक है। यह समानता, वित्तीय व्यवहार्यता और संघर्ष समाधान की समीक्षा के मानदंडों पर आधारित है।
- WUA नहर कमांड में पानी की पहुँच की वार्षिक समीक्षा भी कर सकता है।

संसाधन व्यक्ति

मनु वड्डेर
राज्य समन्वयक (गुजरात), क्षेत्रीय इंटीग्रेटर
८२००१४७५९६

सामाजिक प्रक्रियाओं के विशेषज्ञ

मोहन शर्मा

हार्दी सुखाड़िया
कार्यक्रम कार्यकारी, जल संसाधन

कौशल गडरिया
कार्यक्रम कार्यकारी, जी.आई.एस और एन.आर.एम

Documentation Partner

WELL LABS
WATER · ENVIRONMENT · LAND · LIVELIHOODS

Knowledge Partner

dsc
Development Support Centre

Supported by

AXIS BANK FOUNDATION

नवंबर २०२५